कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करना

कोयला मंत्रालय कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 **में प्रस्तावित मसौदा संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श अभियान के एक भाग के रूप में जनता से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया आमंत्रित** करता है। मसौदा विधेयक पर टिप्पणियां dk.solanki@nic.in और arvind.kumar70@nic.in को ईमेल द्वारा और अधिक से अधिक 27.12.2024 तक भेजी जा सकती हैं।

	कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
	भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 में आगे निम्नानुसार संशोधन करने हेतु विधेयकः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 1 का संशोधन	2. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
धारा 2 का संशोधन	3. मूल अधिनियम की धारा 2 में— (i) खंड (ख) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617" शब्दों और आंकड़ों के लिए, "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617" शब्दों और आंकड़ों के बाद, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)" डाला जाएगा; (ii) खंड (ग) में, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 शब्द, कोष्ठक और आंकड़े रखे जाएंगे; (1957 का 67)।
धारा 10 का संशोधन	6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:- 10(2) तत्समय प्रवृत्त किसी

खनन पट्टे की अवधि खान का पूरा जीवन हो।	अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को किसी खनन पट्टे [राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त या अनुदत्त किए गए समझे गए] के अधीन अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित किए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से और उसके बाद से राज्य सरकार की पट्टेदार बन गई समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के अधीन खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदान किया गया हो, वह अवधि खान की संपूर्ण अवधि होगी।
धारा 11 का संशोधन	7. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित हैं, वहां सरकारी कंपनी, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से और उससे राज्य सरकार की पट्टेदार बन गई समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के अधीन कोई खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी, उसके पट्टे की अवधि खान के पूरे जीवन के लिए है। मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 11(3). केन्द्र सरकार अधिसूचना/आदेश द्वारा भूमि को पट्टे पर देने अथवा भूमि में या उस पर अधिकारों के लिए यथा उपयुक्त निबंधन एवं शर्तों पर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। 11(4). सरकारी कंपनी केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि में अथवा उस पर अधिकारों सहित भूमि समनुदेशित/पट्टे पर भी दे सकती है।

नई धारा 11क का अंतःस्थापन। अधिसूचना रद्द करना।	8 . मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: - 11क. अधिसूचना रद्द करना- जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के अधीन पहले से अधिग्रहीत भूमि की अब और आवश्यकता नहीं है, वहां वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ऐसी भूमि की अधिसूचना रद्द करके यथास्थिति, अंशतः या पूर्ण रूप से अनधिसूचित कर सकती है।
धारा 13 का संशोधन	9. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (5), (5क) और (6) का लोप किया जाएगा।
नई धारा 13क का अंतःस्थापन	10. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः- 13क. भूमि और संरचना, पुनर्वास और भूमि मालिकों और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा- जहां अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II और III के अनुसार भूस्वामियों, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान किया जाएगा और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी या संशोधित इन अनुसूचियों के अनुरूप नियम/आदेश दिए जाएंगे।
धारा 14 का संशोधन	11. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (7) में, "माध्यस्थम अधिनियम, 1940" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (1996 का 26।
नई धारा 14क का अंतःस्थापन	12. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः- 14 क. आयकर, स्टाम्प शुल्क और फीस से छूट- इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर कोई आयकर या स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

धारा 17 का संशोधन	13. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात:- (1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई प्रतिकर उसके हकदार इच्छुक व्यक्तियों को दिया या संदत्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी जैसा भी हो, उन्हें तब तक संदाय करेगी जब तक कि उपधारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारा न किया जाए। (2) यदि इसके हकदार व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे या यदि प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता या इसे प्राप्त करने के लिए शीर्षक या उसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी जैसा भी हो, प्रतिकर की राशि अधिकरण के पास जमा करेगी: बशर्ते कि रुचि रखने के लिए भर्ती किया गया कोई भी व्यक्ति राशि की पर्याप्तता के विरोध में ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है: इसके अलावा परंतु यह तब जबकि प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छुक व्यक्ति होने का दावा करता है (चाहे ऐसे व्यक्ति को इच्छुक होने के लिए स्वीकार किया गया हो या नहीं), जिसमें पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति भी शामिल है, न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा करने का हकदार होगा: परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति, जिसने अभ्यापत्तिपूर्वक से अन्यथा राशि प्राप्त की है, अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। (3) जब मुआवजे की राशि इस धारा के तहत यथा आवश्यक रूप से भुगतान अथवा जमा नहीं की जाती है, तो केंद्र सरकार अथवा सरकारी कंपनी जैसा भी मामला हो, मुआवजे की देय होने की तिथि से इसका भुगतान अथवा जमा किया जाएगा, तक प्रति वर्ष विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगी।
नई धारा 29 की प्रविधि	14. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- (ii) खान बंद होने के बाद पुनः

	उपयोग के लिए अथवा खनन के लिए अव्यवहार्य भूमि के उपयोग के लिए भूमि का हस्तांतरण/वापसी/निहित करना: जहां केन्द्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहित किसी भूमि की अब और आवश्यकता नहीं है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके और ऐसी भूमि की अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी भूमि को विभिन्न उपयोगों के लिए, जैसा भी मामला हो, आंशिक अथवा पूर्ण रूप में हस्तांतरण/वापस/निहित कर सकती है।

प्रस्तावित संशोधनों संबंधी विवरण

क्र.सं.	मूल अधिनियम में मौजूदा धाराएं	प्रस्तावित संशोधन
1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 है।	इस अधिनियम को कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।
2.	धारा 1 (2): इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में है।	इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।
3.	धारा 2: परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -	मूल अधिनियम की धारा 2 में, —
	(ख) "सरकारी कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनी, जिसमें किसी भूमि या भूमि में या उस पर अधिकार धारा 11 के तहत निहित होंगे;	(i) खंड (ख) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617" शब्दों और आंकड़ों के लिए, "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617" शब्दों और आंकड़ों के बाद, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े **"या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)"** डाला जाएगा;

	(ग) "खनिज रियायत नियम" से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियम अभिप्रेत हैं;	(ii) खंड (ग) में, "खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 शब्द, कोष्ठक और आंकड़े** रखे जाएंगे।
4.	10. केंद्रीय सरकार में भूमि या अधिकार (1) धारा 9 के अधीन घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन होने पर, भूमि या भूमि में या उस पर अधिकार, जैसा भी मामला हो, सभी बाधाओं से मुक्त केन्द्रीय सरकार में पूर्णतः निहित होंगे। (2) जहाँ किसी राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अनुदत्त या अनुदत्त समझे गए किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किए जाते हैं वहाँ केन्द्रीय सरकार, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से राज्य सरकार की पट्टेदार इस प्रकार समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के अधीन कोई खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिया गया हो, इसकी अवधि वह संपूर्ण अवधि होगी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उन नियमों के अधीन ऐसा पट्टा प्रदान किया जा सकता था।	**धारा 10(2) में संशोधन** ***तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,*** जहां किसी व्यक्ति को किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार [राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किए गए या अनुदत्त किए गए समझे गए] इस अधिनियम के अधीन प्राप्त होते हैं, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से राज्य सरकार की पट्टेदार इस प्रकार समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के अधीन खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को दिया गया हो, वह अवधि खान का पूरा जीवनकाल होगा।

5.	11. किसी सरकारी कंपनी में भूमि या अधिकार निहित करने का निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार है या उसने अनुपालन किया है जो केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दिया गया है कि भूमि या भूमि में या उस पर अधिकार, जैसा भी मामला हो, धारा 10 के तहत केंद्र सरकार में निहित होने या इस प्रकार निहित होने के बजाय, सरकारी कंपनी में या तो घोषणा के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी अन्य तारीख को निहित होगा जो निर्देश में निर्दिष्ट की जा सकती है। (2) जहां इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित हैं वहां सरकारी कंपनी, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से राज्य सरकार की पट्टेदार इस प्रकार समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के अधीन खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी को दिया गया हो,	**धारा 11 में संशोधन:** निम्नलिखित पाठ को उप-धारा (2) में जोड़ा जाएगा: ***<u>तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,</u>*** जहां इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित हैं, वहां सरकारी कंपनी, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से राज्य सरकार की पट्टेदार इस प्रकार समझी जाएगी मानो खनिज रियायत नियमों के तहत खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को दिया गया हो, ***<u>उसके पट्टे की अवधि खान के पूरे जीवन के लिए है।</u>*** धारा 11 में, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी: **उप-धारा (3):** केंद्रीय सरकार अधिसूचना/आदेश द्वारा भूमि को पट्टे पर देने ***<u>अथवा भूमि में या उस पर अधिकारों के</u>*** लिए यथा उपयुक्त निबंधन एवं शर्तों पर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। **उप-धारा (4):** सरकारी कंपनी केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ***<u>भूमि में अथवा उस पर अधिकारों सहित भूमि समनुदेशित/पट्टे</u>*** पर भी दे सकती है।

	उसकी अवधि वह संपूर्ण अवधि होगी जिसके लिए ऐसा पट्टा उन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता था; और पट्टे या उसके अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में केंद्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, सरकारी कंपनी के अधिकार और दायित्व समझ जाएंगे।	**धारा 11 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:** **धारा 11क. अधिसूचना को वापस लेना:** जहां केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत पहले से अधिग्रहित भूमि की अब आवश्यकता नहीं है, वह इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ऐसी भूमि के डिनोटिफिकेशन को प्रकाशित करके आंशिक या पूर्ण रूप से अधिसूचना वापस ले सकती है।
6.	**13. पूर्वेक्षण लाइसेंसों के प्रभावहीन हो जाने के लिए मुआवजा, खनन पट्टों के अंतर्गत प्राप्त किए जा रहे अधिकार आदि।** **(5)** जहाँ धारा 9 के अधीन कोई भूमि अधिगृहीत की जाती है वहाँ उस इच्छुक व्यक्ति को प्रतिकर का सन्दाय किया जाएगा, जिसकी रकम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अवधारित की जाएगी- **(क)** धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में भूमि का बाजार मूल्य क्या था; स्पष्टीकरण - भूमि में मौजूद किसी भी खनिज के मूल्य को किसी भी भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने में विचार नहीं किया जाएगा;	**धारा 13(5), 13(5क), 13(6)** को हटाया जाएगा। **धारा 13 क** को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा: **धारा 13क भूमि और संरचना के लिए मुआवजा, भूमि मालिकों और प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन** जहां अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II एवं III और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी या संशोधित नियमों / आदेशों के अनुसार भूमि मालिकों, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान किया जाएगा।

	(ख) भूमि का कब्जा लेते समय उस पर खड़ी किन्हीं फसलों या वृक्षों को ले लेने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुआ नुकसान; **(ग)** भूमि का कब्जा लेते समय, ऐसी भूमि को किसी अन्य भूमि से पृथक करने के कारण, हितबद्ध व्यक्ति को हुआ नुकसान, यदि कोई हो; **(घ)** भूमि का कब्जा लेते समय, अर्जन के कारण किसी अन्य रीति से उसकी अन्य जंगम संपत्ति को या उसके उपार्जनों को क्षतिकर रूप से प्रभावित करने से, हितबद्ध व्यक्ति को हुआ नुकसान, यदि कोई हो; **(ङ)** भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप यदि हितबद्ध व्यक्ति को अपना निवास स्थान या कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश होना पड़ता है तो ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो; और **(च)** धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के समय और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय के बीच भूमि के लाभ में कमी से सद्भावपूर्वक हुआ नुकसान, यदि कोई हो; (5क) धारा 9 के अधीन अर्जित की गई किसी भूमि के लिए प्रतिकर की रकम का अवधारण करते समय, हितबद्ध व्यक्ति की अन्य भूमि के मूल्य में जो वृद्धि ऐसे उपयोग से उद्भूत होगी, जो अर्जित भूमि का किया जाएगा उस	

	पर विचार नहीं किया जाएगा। **(6)** जहां इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी कोई प्रचालन से किसी भूमि की सतह या उस पर किसी कार्य को क्षति पहुंचती है या पहुंचते की संभावना है और उसके संबंध में इस अधिनियम में अन्यत्र प्रतिकर का कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी सभी क्षति के लिए संदाय करेगा या भुगतान देगा और इस प्रकार संदत्त या भुगतान की गई राशि की पर्याप्तता के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में जिसे वह संदाय की जानी है या भुगतान की जानी है, विवाद की स्थिति में वह विवाद को न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए निर्दिष्ट करेगा।	
7.	14. मुआवजे का निर्धारण करने की विधि। (7) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का 10) में कुछ भी इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।	उप-धारा (7) में, शब्दों और आंकड़ों के लिए, "मध्यस्थता अधिनियम, 1940", शब्द और आंकड़े, "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। **नई धारा 14क जोड़ी जाएगी** **धारा 14 क** आयकर, स्टाम्प ड्यूटी और शुल्क से छूट – इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अवार्ड या समझौते पर कोई आयकर या स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
8.	**17. प्रतिकर का भुगतान** (1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई प्रतिकर उसके हकदार इच्छुक	**धारा 17 में संशोधन प्रतिकर का भुगतान** (1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई प्रतिकर उसके हकदार इच्छुक व्यक्तियों को दिया या संदत्त किया जा सकेगा और

	व्यक्तियों को दिया या संदत्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय सरकार उन्हें तब तक संदाय करेगी जब तक कि उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए। (2) यदि इसके हकदार इच्छुक व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे या यदि मुआवजे की रकम या इसे प्राप्त करने के लिए हक की पर्याप्तता या उसके आबंटन के बारे में कोई विवाद है, तो केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के पास मुआवजे की राशि जमा करेगी: बशर्ते कि इच्छुक वाला कोई भी व्यक्ति राशि की पर्याप्तता से संबंधित अभ्यापत्तिपूर्वक ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है: 1 [बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक इच्छुक व्यक्ति होने का दावा करता है (चाहे ऐसे व्यक्ति को इच्छुक होना स्वीकार किया गया हो या नहीं), जिसमें पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति भी शामिल है, न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा करने का हकदार होगा: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर रकम प्राप्त की है, न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे किसी भी दावे को प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा।	यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी, उन्हें तब तक संदाय करेगी जब तक कि उपधारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए। (2) यदि इसके हकदार व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे या यदि मुआवजे की रकम की पर्याप्तता या इसे प्राप्त करने के लिए हक या उसके आवंटन के बारे में कोई विवाद हो, तो केंद्र सरकार या सरकारी कंपनी, जैसा भी मामला हो, न्यायाधिकरण के पास मुआवजे की राशि जमा करेगी: बशर्ते कि इच्छुक होने वाला कोई भी व्यक्ति राशि की पर्याप्तता से संबंधित अभ्यापत्तिपूर्वक ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है: बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक इच्छुक व्यक्ति होने का दावा करता है (चाहे ऐसे व्यक्ति को इच्छुक होना स्वीकार किया गया हो या नहीं), जिसमें पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति भी शामिल है, न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा करने का हकदार होगा: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर रकम प्राप्त की है, न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे किसी दावे को प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। (3) जब प्रतिकर की रकम इस धारा द्वारा संदत्त या जमा नहीं की जाती है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार ***<u>या सरकारी कंपनी</u>***, प्रतिकर देय होने के समय से उस पर विहित ब्याज दर पर ब्याज का संदाय करने

	(3) जब प्रतिकर की रकम इस धारा द्वारा यथा अपेक्षित सन्दत्त या जमा नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार प्रतिकर के देय होने के समय से पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उस पर ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी, जब तक कि वह इस प्रकार संदत्त या जमा नहीं कर दी गई हो।	के लिए उत्तरदायी होगी, जब तक कि वह इस प्रकार संदत्त या जमा नहीं कर दी गई हो।
9.	नया प्रावधान	धारा 29: खान बंद होने के बाद पुन: उपयोग के लिए या खनन के लिए अव्यवहार्य भूमि के उपयोग के लिए, भूमि का हस्तांतरण/वापसी/निहित करना: जहां केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित किसी भूमि की अब आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी भूमि की अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी भूमि को विभिन्न उपयोगों के लिए, जैसा भी मामला हो, आंशिक या पूर्ण रूप में हस्तांतरित कर सकती है/वापस कर सकती है/निहित कर सकती है।